भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3555**

(जिसका उत्तर 27 मार्च, 2018/06 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**दुर्घटना बीमा कवरेज को बढ़ावा देने वाली स्कीम**

3555. श्री संजय सेठः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दुर्घटना बीमा कवरेज को बढ़ावा देने वाली कोई स्कीम शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या-क्या हैं;

(ग) इस स्कीम को लागू करने में सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) इस स्कीम को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या उक्त स्कीम के लागू होने के बाद संबंधित सूचकांकों में कोई सुधार हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संबंधित सूचकांकों का राज्य-वार संवितरण क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

**(क) और (ख):** प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का शुभारम्‍भ 09 मई, 2015 को किया गया था। यह योजना दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता के लिए दो लाख रुपए और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए एक लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। इस योजना के तहत कवर अवधि प्रत्‍येक वर्ष के 1 जून से अगले वर्ष के 31 मई तक की है। इस योजना का प्रस्‍ताव/अभिशासन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के सहयोग से सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की बीमा कंपनियों दोनों के माध्‍यम से कि‍या जाता है। पीएमएसबीवाई में प्रति अभिदाता 12 रूपए प्रति वर्ष के प्रीमियम जो अभिदाता के बैंक खाते से स्वत: आहरित किया जाना है, पर 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी अभिदान करने वाले बैंक खाताधारकों को नवीकरणीय वार्षिक दुर्घटना मृत्‍यु–सह-विकलांगता बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

**(ग) और (घ):** पीएमएसबीवाई आम लोगों, खासकर समाज के गरीब और अल्‍प सेवित वर्ग को बीमा कवर प्रदान करता है। सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने आबादी के बड़े वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए व्‍यापक अभियान का आयोजन किया था और इन योजनाओं तक पहुंच के लिए भी सभी प्रयास किए गए थे। अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में इस योजना से जुड़े फार्मों, नियमों इत्‍यादि सहित सभी संगत सामग्री/सूचना प्रदान करने वाली एक विशेष वेबसाइट [www.jansuraksha.gov.in](http://www.jansuraksha.gov.in) तैयार की गई। इस योजना के तहत दावों के निपटान से संबंधित प्रगति की मॉनीटरिंग सरकार द्वारा नियमित आधार पर की जाती है। इन योजनाओं से संबंधित किसी शिकायत का त्‍वरित समाधान बैंकों और बीमा कंपनियों के साथ समन्‍वय करके किया जाता है।

**(ड.) और (च):** योजना के अंतर्गत स्वत: आहरण के माध्यम से नामांकन की संख्या वर्ष 2015-16 में 8.85 करोड़ से सुधर कर वर्ष 2017-18 में 13.41 करोड़ हो गई है। वर्ष 2017-18 में योजना के अंतर्गत राज्य-वार वितरण का ब्‍यौरा **अनुबंध** में संलग्न है। केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में क्रियान्वयनाधीन दुर्घटना बीमा पालिसियों को 01 जून, 2017 से पीएमएसबीवाई में परिवर्तित कर दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम** | **पीएमएसबीवाई नामांकन** |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह  | 25,939 |
| 2 | आन्ध्र प्रदेश $$ | 267,94,786 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश  | 54,557 |
| 4 | असम | 15,42,341 |
| 5 | बिहार  | 44,35,787 |
| 6 | चण्डीगढ़  | 1,80,897 |
| 7 | छत्तीसगढ़  | 48,78,782 |
| 8 | दादरा एवं नगर हवेली  | 38,729 |
| 9 | दमन एवं दीव  | 30,015 |
| 10 | गोवा  | 2,34,179 |
| 11 | गुजरात  | 50,85,989 |
| 12 | हरियाणा | 27,16,634 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश  | 9,70,141 |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर  | 6,06,542 |
| 15 | झारखण्ड  | 17,33,879 |
| 16 | कर्नाटक  | 63,87,312 |
| 17 | केरल  | 36,73,381 |
| 18 | लक्षद्वीप  | 4,510 |
| 19 | मध्य प्रदेश  | 74,07,563 |
| 20 | महाराष्ट्र  | 80,03,951 |
| 21 | मणिपुर  | 87,690 |
| 22 | मेघालय  | 77,784 |
| 23 | मिजोरम  | 72,568 |
| 24 | नागालैण्ड  | 48,569 |
| 25 | दिल्ली  | 22,21,327 |
| 26 | ओडिशा  | 35,93,515 |
| 27 | पुद्दुचेरी  | 1,93,922 |
| 28 | पंजाब  | 32,88,932 |
| 29 | राजस्थान  | 47,74,162 |
| 30 | सिक्किम  | 46,679 |
| 31 | तमिलनाडु  | 68,65,370 |
| 32 | तेलंगाना  | 55,26,435 |
| 33 | त्रिपुरा  | 3,11,420 |
| 34 | उत्तर प्रदेश  | 116,66,598 |
| 35 | उत्तराखण्ड  | 12,93,280 |
| 36 | पश्चिम बंगाल  | 55,91,359 |
| 37 | अन्य एवं नॉन-सीबीएस नामांकन \*\* | 136,27,812 |
|   | **सकल योग**  | **1340,93,336** |

\*\* लाभार्थियों को वस्‍त्र मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, एमएसएमई और पशुपालन विभाग, डेयरी और मत्‍स्‍यपालन विभाग से उनके तत्‍संबंधित भूतपूर्व बीमा योजनाओं से समन्वित किया गया है। गैर-सीबीएस नामांकन शहरी सहकारी बैंकों, जिन्‍होंने सीबीएस प्रणाली को नहीं अपनाया था, के अभिदाताओं से संबंधित है।

$$ आंध्र प्रदेश राज्‍य में एएबीवाई से पीएमजेजेबीवाई और पीएमजेजेबीवाई से समन्वित क्रमश:1.65 करोड और 1.99 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।